राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर

क्रमांकः निदे/**स्वाईन फ्लू** /09/ दिनांकः

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
राजस्थान ।

विषयः— इन्फलूएन्जा A H1N1 रोग के उपचार हेतु जिले में प्राईवेट क्लिनिक, RMPs, एवं अन्य निजी चिकित्सा संस्थाओं को जागरूक किये जाने के क्रम मे ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप अपने जिले में कार्यरत प्राईवेट क्लिनिक, अन्य निजी संस्थाओं के प्रभारियों एवं RMPs को इन्फलूएन्जा A H1N1 रोग के रोकथाम एवं उपचार हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा—निर्देश की प्रति उपलब्ध कराते हुए उनको दिशा—निर्देश में दर्शायी गई कैटेगीरी ए, बी एवं सी के क्रम में विस्तृत जानकारी प्रदान करावें साथ ही उनको निर्देश प्रदान करें कि उनकी क्लीनिक/संस्थान में खांसी, जुकाम के आने वाले संदिग्ध मरीजों को मेडिकल कालेज अस्पताल/जिला अस्पताल/रैफरल अस्पताल इत्यादि पर स्वाईन फ्लू रोग के स्क्रीनिंग हेतु बनाये गये विशेष आउटडोर में जांच कराने हेतु भेजें एवं ऐसे मरीजों का विस्तृत विवरण संधारित करें ।

आपके अधीनस्थ कार्यरत एक अधिकारी/कर्मचारी को उपरोक्त प्राईवेट क्लिनिक, RMPs, एवं अन्य निजी चिकित्सा संस्थाओं द्वारा संधारित किये गये संदिग्ध मरीजों का विवरण प्रतिदिन संकलित कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाये जाने बाबत् निर्देशित करें ।

निदेशक (आरसीएच)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज. जयपुर ।

क्रमांकः निदे/स्वाईन फलू /09/ 568 दिनांकः 29.12.09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वा. विभाग, जयपुर ।
3. निजी सहायक, निदेशक (जन.स्वा./एडस) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर ।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन राजस्थान ।
5. प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उपरोक्त पत्र को समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के ई मेल द्वारा भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
6. कार्यालय पत्रावली।

29.12.09

निदेशक (आरसीएच)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज. जयपुर ।